

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०,
विशाल काम्प्लैक्स,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद— सम्भल।

पत्र संख्या—एस०पी०एम०य००/ सी०एच०/ सपोर्टिव सुपरविजन/ ६०/ २०१९-२०/

10254

दिनांक १३/०३/२०२०

विषय—राज्य स्तरीय टीम द्वारा दिनांक 25-28 फरवरी 2020 के मध्य सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान चिन्हित गैप्स/ समस्याओं/ के निराकरण एवं सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राज्य स्तरीय टीम द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2020 के मध्य आपके जनपद में चिकित्सा इकाईयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। उक्त टीम द्वारा आपसे फीडबैक साझा की जा चुकी है तथा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों/ गतिविधियों के अन्तर्गत चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित समस्याओं से सक्षम अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०, के निर्देशानुसार जनपद में पायी गयी कमियों में सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की अनुमोदित भ्रमण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

१५०३२०२०

(डा० अशोक कुमार पालीवाल)
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक

पत्र संख्या—एस०पी०एम०य००/ सी०एच०/ सपोर्टिव सुपरविजन/ ६०/ २०१९-२०/

तददिनांक

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. जिलाधिकारी/ अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति जनपद— सम्भल।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मुरादाबाद को इस आश्य से प्रेषित कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान पायी गयी कमियों का निराकरण कराना सुनिश्चित करें।
3. समर्त महाप्रबन्धक/ उपमहाप्रबन्धक, एस०पी०एम०य००, एन०एच०एम० उ०प्र०, लखनऊ।
4. स्टाफ ऑफीसर, मिशन निदेशक, एन०एच०एम० को इस आशय के साथ प्रेषित की मिशन निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
5. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०, मुरादाबाद।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सम्भल।

(डा० अल्पना शर्मा)
महाप्रबन्धक, प०क०/।
मण्डलीय नोडल अधिकारी

जनपद सम्मल की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की भ्रमण आख्या
दिनांक 25–28 फरवरी 2020

मण्डलीय नोडल अधिकारी – डा० अल्पना शर्मा, महाप्रबन्धक परिवार कल्याण, एस०पी०एम०य००।

राज्य स्तरीय भ्रमण टीम के सदस्य :-

1. श्री बिश्म्भर दयाल—कन्सलटेन्ट, मानव संसाधन, मातृ स्वास्थ्य।
2. श्री प्रमोद चन्द्र अरविन्द, कार्यक्रम सहायक, बाल स्वास्थ्य।

आप अवगत हैं कि मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक उ०प्र० से प्राप्त निर्देशों के क्रम में दिनांक 25–28 फरवरी 2020 के मध्य जनपद सम्मल की चिकित्सा इकाईयों क्रमशः वी०एच०एन०डी० सुल्तानगढ़, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जुनावई, जिला महिला चिकित्सालय सम्मल, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सराय तरीन एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नारौली तथा प्रथामिक विद्यालय जनौटा (द्वितीय) में आर०बी०एस०के० टीम—ए का पर्यवेक्षण किया गया। जिसमें सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में पायी गयी कमियों के सापेक्ष निम्न कार्यक्रमों/गतिविधियों में विशेष प्रयास कर सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। भ्रमण आख्या निम्नवत है।

01— वी०एच०एन०डी० — सुल्तानगढ़

अवलोकन के बिन्दु	अपेक्षित कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर एवं दायित्व
वी०एच०एन०डी० सत्र का आयोजन मानकानुसार नहीं किया जा रहा था ए०एन०एम० सत्र स्थल पर 12:00 वजे आयी थी किसी भी प्रकार की आई०ई०सी० (बैनर एवं पोस्टर) नहीं थी।	मानकानुसार सत्र का आयोजन किया जाना।	बी०सी०पी०एम० एवं चिकित्सा अधीक्षक
एच०आई०वी० सिफलिश का छोटा बैक्सीन कैरियर सत्र स्थल नहीं था पता चला कि पी०एच०सी० से ही इसका वितरण नहीं किया जा रहा है।	सत्र स्थल पर छोटा बैक्सीन कैरियर की उपलब्धता।	बी०सी०पी०एम० एवं चिकित्सा अधीक्षक
बी०सी०जी० बैक्सीन उपलब्ध नहीं थी।	बी०सी०जी० की उपलब्धता	चिकित्सा अधीक्षक
ए०एन०एम० के पास माईक्रोफ्लान उपलब्ध नहीं था पता करने पर बताया कि माईक्रोफ्लान नहीं दिया गया है।	माईक्रोफ्लान उपलब्ध कराना	बी०सी०पी०एम० एवं सम्बन्धित चिकित्सा अधीक्षक
आयरन सीरप का वितरण नहीं किया जा था क्योंकि ए०एन०एम० आयरन सीरप साथ नहीं लायी थी।	सत्र स्थल पर आयरन सीरप की उपलब्धता	ए०एन०एम०
ए०एन०सी० की जॉच के लिये कोई प्रावेसी नहीं थी।	ए०एन०सी० की जॉच के लिये प्रावेसी का होना।	ए०एन०एम०
ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री सत्र स्थल पर उपलब्ध थी। लेकिन पोषाहार का वितरण नहीं किया जा रहा है।	ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा पोषाहार वितरण किया जाना।	सी०डी०पी०ओ०
आशा के पास डू लिस्ट थी लेकिन अपडेट नहीं थी।	डू लिस्ट अपडेट करना।	आशा संगिनी / बी०सी०पी०एम०
आशा द्वारा वी०एच०आई०आर० रजिस्ट्रर नहीं भरा जा रहा था।	आशा द्वारा भ्रमण के दौरान ससमय वी०एच०आई०आर० रजिस्ट्रर भरना।	बी०सी०पी०एम० एवं चिकित्सा अधीक्षक
डिजीटल हिमोग्लोबिनोमीटर नहीं था।	डिजीटल हिमोग्लोबिनोमीटर की उपलब्धता	बी०पी०एम एवं चिकित्सा अधीक्षक

02— सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – जुनावई

अवलोकन के बिन्दु	अपेक्षित कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर एवं दायित्व
चिकित्सा इकाई में प्रसव कार्य हेतु अधीक्षक द्वारा रोस्टर बनाकर 07 ए०ए०८००५० एवं आर०बी०८००५० की स्टाफ नर्स की डियूटी लगायी गयी है। जबकि नर्स मेंटर सहित 08 स्टाफ नर्स की तैनात है। जानकारी करने पर पता चला कि अधिकाशं प्रसव ए०ए०८००५० द्वारा कराये जाते हैं जिसके लिये पूर्व में अन्य सुपरवाईजरी विजीट में ए०सी०८००५०, डी०पी०८०० एवं डी०८००८०सी० द्वारा स्टाफ नर्स से ही प्रसव कराने एवं डियूटी रोस्टर में स्टाफ नर्स का ही नाम अंकित करने का अनुरोध किया जा चुका है। लेकिन चिकित्सा अधीक्षक अपनी मनमानी से ए०ए०८००५० से अधिकाशं प्रसव करा रहे हैं। और डियूटी रोस्टर भी नहीं बदल रहे हैं।	स्टाफ नर्स से ही प्रसव कराना।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
प्रसव कक्ष में 07 ट्रे उपलब्ध थी लेकिन मानकानुसार रखरखाव नहीं था। प्रसव में रखा ऑक्सीजन सिलेण्डर खाली था।	7 ट्रे का मानकानुसार संरक्षित करना	चिकित्सा अधीक्षक
प्रसव कक्ष में 02 टेबल थी। 01 पर मैट्रस नहीं थी पता चला कि 15 दिन से नहीं है। चेक करने पर स्टोर में भी उपलब्ध नहीं है।	पर्याप्त मात्रा में मैट्रस की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	चिकित्सा अधीक्षक
प्रसव कक्ष में सखे हुए कलर कोडेड डस्टबिन यथा स्थान पर नहीं रखे हुये थे एवं प्रोटोकाल पोस्टर चस्पा नहीं है।	यथा स्थान पर रखवाया गया प्रोटोकाल पोस्टर को यथा स्थान पर चस्पा करना।	चिकित्सा अधीक्षक
केसशीट को पूर्णरूप से नहीं भरा जा था।	केसशीट का पूर्णरूप भरा जाना।	स्टाफ नर्स
प्रसव रजिस्टर नियमित रूप से अपडेट नहीं किया जा रहा।	प्रसव पंजीका तत्काल अपडेट करना।	स्टाफ नर्स एवं चिकित्सा अधीक्षक
जे०ए०८००८००५० के अन्तर्गत प्रदान की जा रही सेवाओं के अनुसार भोजन पंजीका में लाभार्थी को डिस्चार्ज किये जाने का दिनांक व समय अंकित नहीं किया जा रहा है।	लाभार्थी को कब डिस्चार्ज किया गया दिनांक व समय अंकित करने के लिए सलाह दिया गया।	स्टाफ नर्स एवं चिकित्सा अधीक्षक
ईडीएल की सूची प्रदर्शित नहीं थी।	दवा वितरण काउन्टर एवं औद्धषि भण्डार पर सूची प्रदर्शित कराना।	चिकित्सा अधीक्षक
चिकित्सा इकाई में ए०बी०८००५० के लिये उपकरणों का क्रय कर लिया गया है। 02 स्टाफ नर्सों को तैनाती है परन्तु इकाई के स्थान का चयन न होने के करण क्रियाशील नहीं हो पायी है।	ए०बी०८००५० की स्थापना हेतु स्थान का चयन कर क्रियाशील करना।	बी०पी०८००५० एवं चिकित्सा अधीक्षक
डिजीटल हिमोग्लोबिनोमीटर नहीं था।	डिजीटल हिमोग्लोबिनो मीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	बी०पी०८००५० एवं चिकित्सा अधीक्षक
वायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत चिकित्सालय से किसी सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा कार्य किया जा रहा है। सेवा प्रदाता एजेन्सी एक दिन के बाद आता है।	सेवा प्रदाता एजेन्सी से मानकानुसार कार्य लिया जाये।	स्टाफ नर्स एवं चिकित्सा अधीक्षक
कन्डोम बाक्स नहीं लगा था	कन्डोम बाक्स लगाया जाना।	बी०पी०८००५० एवं चिकित्सा अधीक्षक

03 जिला महिला चिकित्सालय – सम्भल।

अवलोकन के बिन्दु	अपेक्षित कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर एवं दायित्व
जिला महिला चिकित्सालय में स्थापित एस०एन०सी०य०० में बालरोग विशेषज्ञ की तैनाती न हो पाने के कारण एस०एन०सी०य०० इकाई क्रियाशील नहीं हो पा रही है।	बालरोग विशेषज्ञ की तैनाती कर एस०एन०सी०य०० को क्रियाशील करना।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
प्रसव कक्ष में रखे हुए कलर कोडेड डस्टबिन यथा स्थान पर नहीं रखा हुआ था एवं प्रोटोकाल पोस्टर चस्पा नहीं है।	यथा स्थान पर रखवाया गया	तत्काल
प्रसव कक्ष एवं डाईट रजिस्टर में लाभार्थी को डिस्चार्ज किये जाने का दिनांक व समय अंकित नहीं किया जा रहा है।	डाईट रजिस्टर में दिनांक व समय अंकित करने के लिए सलाह दिया गया।	स्थानीय
केसशीट को पूर्णरूप से नहीं भरा जा था।	केसशीट का पूर्णरूप भरा जाना	नर्स मेन्टर / अधीक्षक
एम०सी०पी० कार्ड एवं जे०एस०वाई० भुगतान में एम०सी०टी०एस नम्बर नहीं डाले जा रहे।	100 प्रतिशत एम०सी०टी०एस पर पोर्टल पर पंजीकरण।	चिकित्सा अधीक्षक
जे०एस०वाई० योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में 1125 के सापेक्ष 802 वर्ष 2019–20 में 4896 के सापेक्ष 399 लाभार्थियों का भुगतान अवशेष है।	शत–प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करना।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
रैफर इन मरीजों का एडमीसन रजिस्टर में नाम अंकित नहीं किया जा रहा है।	शत–प्रतिशत नाम अंकित सुनिश्चित करना।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
जिला चिकित्सालय में निश्चेतक एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ कार्यरत हैं तथा ओ०टी० क्रियाशील हैं इसके उपरान्त भी सिजेरियन प्रसव नहीं हो रहे हैं पता करने पर बताया गया कि स्त्रीरोग विशेषज्ञ पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, जिसके कारण सिजेरियन प्रसव नहीं हो पा रहे हैं।	ऑन काल चिकित्सकों से सिजेरियन प्रसव कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

04—नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – सराय तरीन

अवलोकन के बिन्दु	अपेक्षित कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर एवं दायित्व
प्रसव हेतु बहुत छोटा कक्ष है जो कि मानकानुसार नहीं है।	प्रसव कक्ष का मानकानुसार होना।	अरबन कोआर्डिनेटर / एन०य०एच०एम० नोडल अधिकारी
कन्डोम बाक्स नहीं लगा था	कन्डोम बाक्स लगाया जाना।	बी०पी०एम एवं चिकित्सा अधीक्षक
वायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत चिकित्सालय से किसी भी सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। चिकित्सालय में वायोमेडिकल वेस्ट हेतु नगर पालिका प्रबन्धक का सहयोग किया जा रहा है।	वायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत सेवा प्रदाता एजेन्सी से कार्य लिया जाये।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधीक्षक
चिकित्सालय में कण्डोम वॉक्स नहीं लगे थे।	कण्डोम वॉक्स लगाना।	स्टाफ नर्स एवं चिकित्सा अधीक्षक
ईडीएल की सूची प्रदर्शित नहीं थी।	दवा वितरण काउन्टर एवं औद्योगिक भण्डार पर सूची प्रदर्शित कराना।	चिकित्सा अधीक्षक

05 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – नरौली

अवलोकन के बिन्दु	अपेक्षित कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर एवं दायित्व
प्रसव कक्ष में मानकानुसार 07 ट्रे थी लक्ष्य अस्समेन्ट के कारण प्रसव कक्ष अस्त-व्यस्त था।	प्रसव कक्ष में प्रसव सम्बन्धी सभी प्रोटोकाल का पालन करना।	चिकित्सा अधीक्षक
प्रसव कक्ष में इमरजेंसी ट्रे में Inj. Ampicillin, Metronidazole, Fortwin. Phenergan and Teb.Methyldopa उपलब्ध नहीं थी।	दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	चिकित्सा अधीक्षक
नर्स मेन्टर तैनात है लेकिन दो दिन पूर्व हुये प्रसवों को प्रसव रजिस्टर अपडेट नहीं किया गया था	पंजीकरण रजिस्टर, प्रसव रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर तथा केसशीट के रिकार्ड का आपस में मिलान होना चाहिये।	नर्स मेन्टर एवं स्टाफनर्स
स्टाफ कम होने के कारण आरोआई मॉनीटिरिंग में पुरुष स्टाफ नर्स को लगाया जा है जबकि प्रसव कक्ष में मात्र 02 महिला स्टाफनर्स हैं। पुरुष स्टाफ नर्स की प्रसव सम्बन्धी रिकार्ड बनाने में आवश्यकता है।	पुरुष स्टाफ नर्स आरोआई मॉनीटिरिंग में नहीं लगना।	बी0पी0एस0 / चिकित्सा अधीक्षक
06 मातृ मृत्यु हुयी थी बताया कि सभी का समीक्षा की गयी है लेकिन समीक्षा प्रपत्र मॉगने कोई पत्र उपलब्ध नहीं था।	प्रत्येक मातृ मृत्यु की समीक्षा करना एवं प्रपत्र भरना।	बी0पी0एस0 / चिकित्सा अधीक्षक
आरोकेएस० का रिकार्ड मॉगने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि रिकार्ड आडीटर के पास है।	टीम के मॉगने पर रिकार्ड दिखाना।	बी0पी0एस0 / चिकित्सा अधीक्षक
प्रसव उपरान्त कोई भी प्रसूता 24 अथवा 48 घन्टे नहीं रुक रही है। डायट रजिस्टर एवं प्रसव रजिस्टर में अंकित डिस्चार्ज तिथि एवं समय में अन्तर था।	प्रसूता को 48 घन्टे रोकने का प्रयास करना एवं सही तिथि व समय अंकित करना।	बी0पी0एस0 / चिकित्सा अधीक्षक

06- प्रथामिक विद्यालय जनौटा (द्वितीय) में आरोबी०एस०के० टीम—ए

अवलोकन के बिन्दु	अपेक्षित कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर एवं दायित्व
प्राथमिक विद्यालय में आयरन की गोली उपलब्ध नहीं थी।	आयरन गोली उपलब्ध कराना।	चिकित्सा अधीक्षक
प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के पास आयरन गोली के वितरण के रिकार्ड रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।	आयरन गोली के वितरण का रजिस्टर उपलब्ध कराना।	चिकित्सा अधीक्षक / आरोबी०एस०के० नोडल
ड्यूटी में लगे वाहन की लॉगबुक 02 फरवरी, 20 से नहीं भरी गयी थी एवं टीम भी लॉगबुक पर प्रतिदिन हस्ताक्षर नहीं किये जा रहे।	प्रतिदिन लॉगबुक भरना एवं टीम द्वारा सत्यापन करना।	अधीक्षक / आरोबी०एस०के० नोडल

प्रमोद चन्द्र अरविन्द
कार्यक्रम सहायक

बिशम्भर दयाल
परामर्शदाता—मातृ स्वास्थ्य

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०,
विशाल काम्पलैक्स,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद— सम्भल।

पत्र संख्या—एस०पी०एम०य००/सी०एच०/सपोर्टिव सुपरविजन/६०/२०१९-२०/

दिनांक १३/०३/२०२०

विषय—राज्य स्तरीय टीम द्वारा दिनांक 25-28 फरवरी 2020 के मध्य सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान चिन्हित गैप्स/समस्याओं/ के निराकरण एवं सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राज्य स्तरीय टीम द्वारा दिनांक 25 फरवरी से 28 फरवरी 2020 के मध्य आपके जनपद में चिकित्सा इकाईयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। उक्त टीम द्वारा आपसे फीडबैक साझा की जा चुकी है तथा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों/ गतिविधियों के अन्तर्गत चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित समस्याओं से सक्षम अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०, के निर्देशानुसार जनपद में पायी गयी कमियों में सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की अनुमोदित भ्रमण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा० अशोक कुमार पालीवाल)
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक

पत्र संख्या—एस०पी०एम०य००/सी०एच०/सपोर्टिव सुपरविजन/६०/२०१९-२०/ १०२५४-६ तददिनांक

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति जनपद— सम्भल।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान पायी गयी कमियों का निराकरण कराना सुनिश्चित करें।
3. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, एस०पी०एम०य००, एन०एच०एम० उ०प्र०, लखनऊ।
4. स्टाफ ऑफीसर, मिशन निदेशक, एन०एच०एम० को इस आशय के साथ प्रेषित की मिशन निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
5. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०, मुरादाबाद।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सम्भल।

(डा० अल्पना शर्मा)
महाप्रबन्धक, प०क०/
मण्डलीय नोडल अधिकारी